

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के अर्न्तगत बांजबगड-तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9.00 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु 2.012 वन भूमि हस्तान्तरण।


सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण -पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि बाजबगड-तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण के अर्न्तगत प्रभावित होने वाली ग्राम -स्यारी (बंगाली) की सिविल भूमि 0.374 है. वन पंचायत स्यारी की 1.638 हे. वन पंचायती भूमि का स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण पर वृक्ष खडे मौजूद हैं, जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X-3/2011 /8(21)/2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/ X-3/2011/8 (21) /2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त उल्लिखित ग्राम स्यारी सिविल एवं वन पंचायती भूमि कुल 2.012 है. वन भूमि में वृक्ष खडे होने एवं वृक्षो का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल/ वन पंचायती भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।



अमीन



पटवारी


तहसीलदार


उप जिलाधिकारी


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.कर्णप्रयाग


अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.कर्णप्रयाग


बन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रकाश